

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**  
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015  
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम-2178/2013)/अलेसे-III/518

दिनांक :- 19-7-2023

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-III को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र.सं. | लिंक नं. | नाम क. लेखाकार<br>(श्री/श्रीमती/सुश्री) | नाम परीक्षा           | आयोजक संस्था                                                                | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय                                  |
|---------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1       | 2        | 3                                       | 4                     | 5                                                                           | 6                                                          |
| 1       | 10814    | मनोज कुमार रैगर                         | UGC NET<br>June +2023 | National<br>Testing Agency<br>(Ministry of<br>Education,<br>Govt. of India) | कार्यालय सहायक निदेशक<br>कृषि (विस्तार) नोहर,<br>हनुमानगढ़ |

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

  
(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पादेन  
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 19-7-2023

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम-2178/2013)/अलेसे-III/518  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) नोहर, हनुमानगढ़
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. मनोज कुमार रैगर, स.ले.अ. ग्रेड-III, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) नोहर, हनुमानगढ़।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(कै.जी. गुप्ता)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III/III)